(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 280–तीन/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–2–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक–136/निगरानी/2007–08.

.....

1. देवदास पिता स्व0 श्री सूर्यभान पटेल
   साकिन देवरा, तहसील हनुमना जिला रीवा
2. रामस्वरूप पिता स्व0 श्री सूर्यभान पटेल
   साकिन देवरा, तहसील हनुमना जिला रीवा
3. इन्द्रमणि प्रसाद पिता स्व0 श्री सूर्यभान पटेल
   साकिन देवरा, तहसील हनुमना जिला रीवा

————आवेदकगण

विरूद्ध

1. शासन म0प्र0 (माननीय जिलाध्यक्ष महोदय
   जिला रीवा म0प्र0)
2. सतानंद तनय स्व0 श्री सूर्यभान पटेल,
   साकिन देवरा, तहसील हनुमना जिला रीवा

————अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/11/2016 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 22–2–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जिला रीवा ने नायब तहसीलदार हनुमना के प्रकरण कमांक 51/अ–19/(3)/97–98 में पारित आदेश दिनांक 28–7–1998 जिसके द्वारा ग्राम देवरा ज0नं0 493

तहसील हनुमना की शासकीय भूमि सखरा कमांक 2950/2 रकवा 1.02 एवं 3020/1 रकवा 4.18 एकड़ का चक सुधार व्यवस्थापन किया गया था, को स्वमेव निगरानी में लिया गया। कलेक्टर ने आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जबाव प्राप्त करने के उपरांत आदेश दिनांक 21–1–2008 को प्रश्नाधीन भूमि का चक सुधार व्यवस्थापन को अवैधानिक व नियम विरूद्ध होने से निरस्त किया तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मऊगंज के समक्ष स्वत्व संबंधी घोषण एवं विभाजन का व्यवहार कमांक 93/ए–2003 में पारित आदेश दिनांक 19–11–2004 के तारतम्य में विधिवत जांच की जाकर कब्जे तथा पात्रता के लिए बने अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 22–2–2008 द्वारा निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि व्यवहार न्ययालय के समक्ष प्रस्तुत वाद कमांक 93ए/2003 में पारित आदेश दिनांक 19–11–2004 के द्वारा आवेदक का स्वत्व घोषण, चिरस्थायी निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किया गया, परन्तु कलेक्टर द्वारा व्यवहार न्यायायल के आदेश के विपरीत निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण तहसीलदार को व्यवहार न्यायालय के आदेश के तारतम्य में विधिवत जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है जबकि किसी राजस्व न्यायालय को व्यवहार न्यायालय के आदेश की जांच के अधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। तर्क में यह भी कहा कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगणों की पैतृक भूमि है जिनका विधिवत सीमांकन कराने के उपरांत समतल व उपजाऊ बना लया है जिसपर मकान, पेड–पौधे एवं अन्य वृक्ष लगे है। ऐसी स्थिति में आवेदक का उक्त व्यवस्थापन निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई

जिसपर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा कलेक्टर को प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा व्यवस्थान आदेश को स्वमेव निगरानी में लिया गया, जहां पर आवेदकगण को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। आवेदकगण की ओर से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय के प्रकरण कमांक 93ए/2003 में पारित आदेश दिनांक 19—11—2004 के द्वारा आवेदक का स्वत्व घोषण, चिरस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी आदेश प्रस्तुत किया गया था जिसपर कलेक्टर ने प्रकरण तहसीलदार को उक्त व्यवहार न्यायालय के आदेश के तारतम्य में जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है। चूंकि व्यवहार न्यायालय के आदेश के कम में विचारण न्यायालय में जांच की जाना है जहां आवेदकगण को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण को उक्त जांच को पूर्ण होने से पूर्व ही इस न्यायालय में प्रश्नाधीन आदेश को चुनौती दी गई है जो उचित नहीं है। इसी कारण अपर आयुक्त आवेदकगण की निगरानी को आधारहीन होन से निरस्त किया है। दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 22—2—2008 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,